कार्यसूची सं.	**1**
बैठक का दिनांक	**09.02.2017**
बैठक सं.	**58**

दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित 56 वीं SLBC एवं दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 को आयोजित विशेष SLBC की बैठकों के कार्यवृत्तों की पुष्टि

- चूँकि दिनांक बैठक त्रैमासिक की SLBC वी 57 पास्तावित को 11.11.2016कतिपय कारणों से स्थगित कर दी गई थी अतः इस बैठक के प्रारंभ में इस सभा के द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2016 ,को आयोजित एवं SLBC वीं 56 दिनांक 2016 ,अक्टूबर 17को आयोजित विशेष ,है लंबित तक अब जो ,पुष्टि की कार्यवृत्तों के बैठकों की SLBC की अनुसंशा की जाती है
- दिनांक **10 अगस्त , 2016** को आयोजित 56 वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं |
- दिनांक **17 अक्टूबर, 2016** को वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 15 सितम्बर, 2016 से 31 अक्टूबर, 2016 तक वित्तीय समावेशन पर चलाये गए विशेष अभियान पर आयोजित विशेष बैठक के कार्यवृत भी सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित कर दिये गए हैं | सभा से आग्रह है कि DFS, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री मदनेश कुमार मिश्रा जी के द्वारा कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या -5 के अंतिम वाक्य पर सुझाये गए बदलाव को अपने records में संशोधित कर लें, जो इस प्रकार है-

पूर्व में दिया गया- "मुद्रा कार्ड एक्टिव रखने के लिए कार्ड का प्रयोग कम से कम एक बार 45 दिनों के अंदर करना था जिसे बढा कर 90 दिन कर दिया गया है |

संशोधित वाक्य-" जीवन बीमा को एक्टिव रखने के लिए कार्ड या आधार नंबर द्वारा खाते का संचालन का प्रयोग कम से कम एक बार 45 दिनों के अंदर करना था जिसकी अवधि 90 दिन कर दिया गया है |

- सभा के द्वारा उपर्युक्त दोनों बैठकों के कार्यवृत्तों की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में संशोधन हेतु कोई अन्य अनुरोध प्राप्त नही हुआ है।

कार्यसूची सं.	**2**
बैठक का दिनांक	**09.02.2017**
बैठक सं.	**58**

पूर्व मे आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत रिपोर्ट

राज्य सरकार से संबंधित मामले

क्र.स.	से लंबित	विषय	झारखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान स्थिति
3.1.1	**22.03.2002**	**<u>भूमि अभिलेखों का अद्यतन (Updation) और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन (एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम)</u>** **राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि,** **1. किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख , जो की R.B.I के नियमों के तहत अनिवार्य है , बैंकों को उपलब्ध करा सके|** **2. राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, MSE, शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।**	**(क) भू-अभिलेखों का डिजिटाईजेशन** – सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखण्ड राज्य के कुल 264 अंचलों में से 256 अंचलों में भू-अभिलेखों के डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जहाँ online म्युटेशन की सुविधा प्रदान कर दी गई है | राज्य के 218 अंचलों में online लगान निर्गत करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है | बाकी अंचलों मे कार्य प्रगति पर है | सरकार द्वारा यह बताया गया है की सभी जिलों में NEC अब online उपलब्ध है | बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति की जानकारी की अपेक्षा की जाती है | **(ख) सी.एन.टी एवं एस.पी.टी अधिनियम में संशोधन-** बैंकों से ऋण सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके इसके लिए CNT एवं SPT में संशोधन हेतु झारखण्ड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद् के द्वारा माननीय मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित की गई थी | कमिटी के समक्ष भेजा गया था | उक्त उप समिति द्वारा दिनांक 26.11.2016 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिस पर झारखण्ड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद् की दिनांक 16.01.2017 की बैठक में सहमति प्रदान की गई | उक्त बैठक की कार्यवाही दिनांक 31.01.2017 को प्राप्त हुई है जिसके अलोक में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग को भूमि बंधक के बदले शिक्षा ऋण, गृह ऋण एवं व्यवसायिक ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में CNT Act की धारा-46(1) (कक) का अन्त्स्थापन, धारा -46 (1) (ख) , धारा-46 (1) (ग) एवं धारा -47 (खख) तथा SPT Act की धारा-20 (2) एवं 20 (4) में संशोधन की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है |
3.1.2.	**22.03.2005**	**<u>पी डी आर अधिनियम में संशोधन</u> – राज्य सरकार के द्वारा , एम पी और यू पी रिकवरी अधिनियम के तर्ज पर, जरुरी संशोधन करने का प्रस्ताव था, जिस के अनुसार बैंकों के द्वारा अपफ्रॉन्ट कोर्ट फीस का भुगतान न कर , रिकवरी की राशि से ही कोर्ट फी का भुगतान करना प्रस्तावित था | इसके साथ ही रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने से सम्बन्धित संशोधित प्रावधान लागू करने का भी प्रस्ताव था |**	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (झारखण्ड सरकार अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 16.02.2013 के तहत 25% कोर्ट फीस का अपफ्रॉन्ट भुगतान, एवं शेष 75% का Case निष्पादन के बाद भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया गया है एवं राज्य सरकार के स्तर से सभी ज़िला के उपायुक्तों को उपर्युक्त गज़ट अधिसूचना के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आशा की जाती है कि यदि किसी जिले में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो वे इसे इस सभा के पटल पर रखें ताकि इसका निराकरण हो सके |

3.1.3.	**20.03.2009**	**"बिहार मनी लेन्डर एक्ट 1974 एवं नियम" जो झारखण्ड में लागू है, में संशोधन**	झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) विधेयक, 2016 को झारखण्ड विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है | पारित विधेयक पर माननीय राज्यपाल की सहमति के अलोक में झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) अधिनियम, 1974 को निरसित कर दिया गया है , जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति नगद या वस्तु को बंधक रखकर या स्वर्ण, आभूषण और कोई अन्य सामग्री की प्रतिज्ञा से संबंधित साहुकारी का व्यवसाय नहीं करेगा |
3.1.4.	**29.09.2010**	**राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना |**	लोकमांग वसूली अधिनियम, 1914 में प्रस्तावित संशोधन विधेयक विधान सभा से विधिवत पारित होने के उपरांत माननीय राज्यपाल सचिवालय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजे गए विधेयक में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुधार का निदेश दिया गया है | उक्त निदेश के अलोक में बिहार और ओडिशा लोकमांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा -3 (3) में प्रस्तावित संशोधन झारखण्ड विधान सभा द्वारा पारित कर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति हेतु राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रांची के माध्यम से पुनः गृह मंत्रालय , भारत सरकार को भेजा गया है |
3.1.5.	**19.02.2002**	**राज्य में बैंक के खजाने (Currency Chest) की रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था**	SLBC की सुरक्षा मामलों से संबंधित उप-समिति की बैठक दिनांक 29.04.2016 के निर्णय के आलोक में सभी जिला पुलिस अधीक्षक को झारखण्ड पुलिस के द्वारा CURRENCY CHEST की रक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्देश दिया गया था | पिछली SLBC की बैठक में RBI के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम. के. वर्मा ने यह बताया था कि इस निर्णय के बावजूद अभी भी राज्य में 90% home guards ही currency chest की सुरक्षा में लगे हैं और राज्य सरकार से इस दिशा में अविलम्ब समुचित कार्यवाही किये जाने की मांग की थी | वर्तमान स्थिति की अद्यतन जानकारी अप्राप्त है |
3.1.6.	**01.12.2008**	**आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन.**	सभी जिलों में भूमि आवंटित कर दी गई है|
3.1.7.	**09.05.2013**	**नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।**	सरकार से अद्यतन सूचना अप्राप्त |

3.1.8.	**27.05.2014**	**रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय,, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।**	झारखंड सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड के कार्यालयों हेतु भूमि आवंटित किया गया है | पिछली SLBC की बैठक में सरकार द्वारा मुहैया कराये गए भूमि पर अतिक्रमण का मामला उठाया गया था जिस पर राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों ने RBI एवं NABARD को भवन निर्माण में आने वाली सभी कठिनाईयों को दूर करने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वाशन दिया था | RBI एवं NABARD द्वारा इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा इस सदन में दिया जा सकता है | SLBC एवं BOI के संयुक्त प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु बनायीं गई योजना की प्रति सरकार को पुनः उपलब्ध करा दी गई है | झारखंड सरकार के द्वारा , उपायुक्त , रांची को, SLBC व BOI के संयुक्त प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का आदेश पारित किया गया है परंतु इसमें अबतक आवंटन की सूचना अप्राप्त है |
3.1.9.	**11.05.2016**	**गुजरात के डांग जिले में आदिवासियों को Green Kisan Credit Card योजना के तहत पेड़ों पर उपलब्ध कराये जा रहे सरल micro credit स्कीम का झारखण्ड राज्य में संचालन**	झारखण्ड सरकार द्वारा वन निगम, झारखण्ड से योजना के प्रारूप के बारे में अपेक्षित दिशा निर्देश के संबंध में कार्रवाई पर निर्णय लिया जाना है | इस विषय पर निर्णय लेने के लिए 55 वीं SLBC बैठक के दौरान, झारखण्ड सरकार द्वारा वन निगम, राजस्व विभाग, कल्याण विभाग, SLBC एवं RBI का संयुक्त समिति बनाने का निर्णय लिया गया था | इस समिति का अब तक गठन नही हो सका है |
3.1.10	11.05.2016	**SLBC की कृषि उप समिति की दिनांक: 03.05.2016 की बैठक में झारखण्ड सरकार के द्वारा रु 1.00 लाख से अधिक कृषि-ऋण के लिए जाने वाले mortgage/ COLLATERAL सिक्यूरिटी के बदले राज्य सरकार की गारंटी प्रस्तावित है |**	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से अध्यतन जानकारी अप्राप्त | इस विषय में निर्णय लेने के लिए विभिन्न विभागों जैसे वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, NABARD एवं बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों के साथ बैठक किया जाना है |

बैंक से संबधित मामले Issues Pertaining To Banks

क्रं.स.	से लंबित	मामले	बर्तमान स्थिति
3.1.11	**2013**	**राज्य में कुल 24 RSETI एवं एक RUDSETI का संचालन किया जा रहा है| सरकार द्वारा सभी जगहों के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है | कई जगहों पर आरसेटी भवन का निर्माण कार्य बीओआई, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक द्वारा कतिपय कारणों से शुरू नही किया जा सका है , एवं कई जगहों पर कार्य प्रगति पर है |**	पिछले SLBC बैठक में संबंधित बैंकों द्वारा निर्माण प्रक्रिया नहीं आरंभ किए जाने के कारणों की चर्चा की गई थी जिसमे एक मुख्य कारण कई जगहों पर सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर पूर्व से चले आ रहे अतिक्रमण का मामला बताया गया था | राज्य निदेशक RSETI द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कई जगहों पर RSETI भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है | सभी संबंधित बैंकों से आग्रह है कि वे RSETI भवन के निर्माण कार्य में तेजी लायें और इसे अविलम्ब पूरा करने का प्रयास करें | बैंको से निवेदन है कि उनके द्वारा निर्माण कार्य में आ रही किसी तरह की कठिनाई को संबंधित विभाग के संज्ञान में अविलम्ब लायें ताकि उसका निराकरण समय पर किया जा सके |
	मई 2015	**RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES को बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना |**	इस वित्तीय वर्ष में अबतक 1395 RSETI प्रशिक्षित अभ्यर्थी को बैंकों से ऋण प्राप्त हुआ | यह आंकड़ा SLBC द्वारा State Director, RSETI के सहयोग से लिया गया है | यद्यपि पिछली तिमाही में 937 RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को ऋण मुहैया कराया गया है तथापि दिसम्बर माह के अंत तक 5574 आवेदन बैंकों के पास लंबित पड़े हैं | सभी बैंकों से अनुरोध है कि लंबित मामलों पर त्वरित कार्यवाही कर मामले का निष्पादन करें |

कार्यसूची सं.	3
बैठक दिनांक	09.02.2017
बैठक सं.	58

(Rs. in crores)

Sl. No	KEY INDICATORS	31.12.2015	31.03.2016	31.12.2016	Bench Mark
1	**Deposit**	148398.78	151224.54	181734.26	
2	**Credit**	67532.33	70728.48	78827.49	
3	**Credit as per place of utilization* & RIDF****	20691.36	20923.84	26957.56	
4	**Total Credit**	88223.69	91652.32	105785.05	
5	**CD Ratio (%)**	59.45%	60.61%	58.21%	60
6	**Priority Sector Advances (PSA)**	35928.52	38803.93	42619.46	
7	**Share of PSA to Total Advances (%)**	53.20%	54.86%	54.07%	40
8	**Agricultural Advances**	12397.47	12858.56	13112.94	
9	**Share of Agricultural Advances to Total Advances (%)**	18.36%	18.18%	16.63%	18
10	**i.Micro & Small Enterprises Advance**	13944.31	16458.93	18934.61	
	ii. Share of Micro & Small Enterprises to Total Advances (%)	20.65%	23.27%	24.02%	
	iii. Share of Micro Enterprises in MSE	50.62%	54.61%	54.90%	
11	**Advances to Weaker Sections**	14337.25	14689.94	14862.26	
12	**Share of Weaker Section Advances to Total Advances (%)**	21.23%	20.76%	18.85%	10
13	**DRI Advances**	39.01	38.66	49.66	
14	**Share of DRI Advances to Total Advances of last March (%)**	0.06%	0.05%	0.06%	1
15	**Advances to Women**	14410.45	16236.82	11322.97	
16	**Share of advances to women in Total advances (ANBC) (%)**	21.34%	22.95%	14.36%	5
17	**Advances to Minorities (Amount)**	5104.04	5291.94	5580.51%	
18	**Share of Advances to Minorities under PSA (%)**	14.20%	13.63%	13.09%	15
19	**N.P.A**	4102.05	4597.98	4642.51	
	PERCENTAGE TO GROSS-CREDIT	6.05%	6.50%	5.89%	
20	**Branch Net-Work (in no.)-Rural** **Semi-Urban** **Urban** **Total**	1455 735 674 2864	1464 748 700 2912	1509 756 693 2958	
21	**ATM installed in Jharkhand**	2696	2780	3449	

*Annexure- V, ** Enclosure (page no -.7a, 7b)
As per Annexure - I, Annexure-II, Annexure-III, Annexure-IV, Annexure -XIX

पर्यवेक्षण

जमा वृद्धि (Deposit Growth)

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमा में पिछले एक साल में, यानि 31 दिसम्बर, 2015 से 31 दिसम्बर, 2016 तक **रूपये**.33335.48 करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई है | वर्ष-दर-वर्ष सकल जमा में 22.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो पूर्व के समयों में लगभग 14-15% के आसपास हुआ करता था | संभवतः इसका मुख्य कारण विमुद्रीकरण के पश्चात बैंकों में अप्रत्याशित रूप से जमा की गई राशि है |

ऋण वृद्धि (Credit Growth)

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में पिछले एक साल में रूपये 11295.16 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई | वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर 16.72 प्रतिशत दर्ज की गई है|

क्रेडिट – जमा अनुपात (C.D Ratio)

बैंकों का सीडी अनुपात पिछले तीन महीनों 61.16% % से में घट कर, 58.21 % हो गया है | पिछले तिमाही में यह अनुपात 60.61% से बढ़कर 61.16% हुआ था | इस तिमाही में CD Ratio में आयी इस कमी का प्रमुख कारण विमुद्रीकरण के कारण बैंकों में जमा राशि में हुई अप्रत्याशित वृद्धि है |

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (PSA)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में वर्ष–दर-वर्ष आधार पर **31 दिसम्बर 2016** को रू. 6690.94 करोड़ (18.62%) की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 54.07 % है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से काफी ज्यादा है।

कृषि अग्रिम (Agriculture Credit)

31 दिसम्बर, 2016 को कृषि अग्रिम रू. 13112.93 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 16.63 प्रतिशत है। पिछले एक साल में कृषि ऋण में outstanding figure में कुल रू. 715.46 करोड़ की वृद्धि हुई है यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर यह वृद्धि 5.77% है।

कमजोर वर्ग (Weaker Section)

31 दिसम्बर, 2016 तक झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 14862.26 करोड़ (18.85 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से काफ़ी बेहतर है।

महिलाओं को ऋण (Advance to Women)

31 दिसम्बर, 2016 तक महिलाओं को दिये गए ऋण का कुल शेष (O/S) रूपये 11322.97 करोड़ का है, जो की कुल अग्रिम का लगभग 14.36 % है |

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण (Advance to Minority Community)

31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 5580.51 करोड़ है । यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 13.09 % है, जो मानक 15 प्रतिशत से थोडा कम है | इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए सभी बैंकों को ध्यान देने की आवश्यकता है |

31 दिसम्बर, 2016 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के MASTER CIRCULAR. No – RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15, **दिनांक** 01.07.14 **के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर (एस एल बी सी) उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।**

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण –जमा अनुपात निम्नवत है :-

(Rs **in crore)**

DETAILS		31st December, 2015		31st December, 2016
Aggregate Deposits		**148398.78**		**181734.26**
CORE ADVANCES	67532.33		78827.49	
As per place of Utilization	17304.03		22721.39	
RIDF	3387.33		4236.17	
NET ADVANCES	88223.70		105785.05	
ऋण-जमा अनुपात		**59.45**		**58.21**

(परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण – जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्रक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि से संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

कार्यसूची सं.	4
बैठक का दिनांक	09.02.2017
बैठक संख्या	58

4.1 वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के तहत उपलब्धियों की समीक्षा : 31 दिसम्बर, 2016 तक

समग्र स्थिति

31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

(रू करोड़ में)

SECTOR	ANNUAL TARGET (2015-16)	ACHIEVEMENT IN AFY 2015-16 (Up to 31.12.15)		ANNUAL TARGET (2016-17)	ACHIEVEMENT IN AFY 2016-17 (Up to 31.12.16)	
	AMT	AMT.	%	AMT.	AMT	%
1	2	3	4	5	6	7
Agriculture	**7078.38**	3092.46	**43.68**	**7356.42**	2175.93	**29.58**
MSME	**6130.67**	5228.80	**85.28**	**6526.97**	6165.35	**94.45**
OPS	**3097.87**	1417.67	**45.76**	**3361.72**	1403.01	**41.73**
Total Priority	**16306.92**	9738.93	**59.72**	**17245.11**	9744.29	**56.50**

Non Priority	**10616.76**	9923.91	**93.47**	**10361.68**	7593.20	**73.28**
Total	**26923.68**	19662.84	**73.03**	**27606.79**	17337.49	**62.80**

टिप्पणियां :

- वार्षिक ऋण योजना 2016-17 में, वार्षिक ऋण योजना 2015-16 की तुलना में पहली तीन तिमाहियों यानि कुल 09 महीने में **समग्र** ऋण के संवितरण में ह्रास हुई है। यह चिंताजनक विषय है। अंतिम तिमाही के दौरान भी अब लगभग 50% का समय ही शेष बचा है, अतः उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से इस बिंदु पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया जा रहा है |
- कृषि क्षेत्र में, वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के कुल 09 महीनों में रु 2175.93 करोड़ रुपये का शुद्ध संवितरण हुआ है, जो कि पिछले वित्त-वर्ष के इस अवधि के दौरान किये गए संवितरण से रु. 916.53 करोड़ कम है | कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण की स्थिति में

  अविलम्ब सुधार की आवश्यकता है | सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की वे नाबार्ड के तत्वाधान में हुए SLBC-agriculture sub-committee की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों जैसे कि-कम से कम 30% कृषि ऋण का सविंतरण मियादी ऋण के रूप में सुनिश्चित करना, दुग्ध उत्पादन , मतस्य पालन, मुर्गी पालन एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण देना इत्यादि को अपनी शाखाओं के माध्यम से पूरी दृढ़ता के साथ लागू कराने का प्रयास करें ताकि कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढाया जा सके |
- गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो के लिए ऋण के सविंतरण में आयी गिरावट भी बैंको के लिए चिंता का विषय है | संभवतः यह गिरावट विमुद्रीकरण के पश्चात् बैंक कर्मचारियों द्वारा cash management की तरफ अधिक ध्यान दिये जाने का परिणाम है परंतू वर्तमान वित्तीय वर्ष के बाकी बचे समय में यदि सभी बैंको द्वारा समुचित प्रयास किये जाएँ तो इस दिशा में अपेक्षित सुधार की आशा की जा सकती है |
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में विभिन्न जिलों द्वारा segment wise उपलब्धि पृष्ठ सं-11 (a) से 11 (e) में दर्शायी गई है |

कार्यसूची सं.	5
बैठक का दिनांक	**09.02.2017**
बैठक संख्या	**58**

5. REVIEW OF LENDING ऋण की समीक्षा

5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें केसीसी योजना भी शामिल है

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख रू. 13112.93 करोड़ है जो सकल ऋण का 16.63 **%** है। यह राष्ट्रीय मानक **18** प्रतिशत से कम है। बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों, नाबार्ड एवं अन्य संबंधित हितधारकों के सामूहिक प्रयास से इसे पुन: बेंचमार्क 18% से ज्यादा किये जाने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए |

झारखण्ड में के सी सी की स्थिति (STATUS OF KCC IN JHARKHAND)

(Amt. In Crores)

Type Of Banks	बैंको की श्रेणी	Disbursement During 2016-17		Outstanding In KCC Accounts AS OF 31.12.16		Out of Total K.C.C at the end of Reporting Quarter (Standard Asset)	
		A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	Amt.
PSB	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	310372	833.79	1197782	4241.13	980985	3591.48
Pvt. Banks	निजी बैंक	6119	50.79	9873	73.06	9513	62.83
Total	**कुल**	**316491**	**884.58**	**1207655**	**4314.19**	**990498**	**3654.31**
RRB	आर आर बी	124717	339.58	350466	1134.18	326265	1062.15
Co-op Banks	कॉपरेटिव बैंक	1387	2.70	11599	29.58		
Total	**कुल**	**442595**	**1226.86**	**1569720**	**5477.95**	**1316763**	**4716.46**

- सभी सामान्य के सी सी खातों को Smart K.C.C खातों में परिवर्तित कर उन खातों मे आवश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था ,ताकि यह ATM एवं POS में भी कार्य कर सके। यह पाया गया है कि समस्त के सी सी धारकों को एक या अन्य कारणों से रुपे कार्ड जारी नही किया गया है। अब तक कुल 876661 रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। (विवरण पृष्ठ सं-12 (a) में संलग्न है)
- राज्य में कृषि क्षेत्र में NPA रुपये 854.36 करोड़ है, जो कुल NPA रुपये 4652.51 करोड़ में लगभग 18.36 % है और केवल KCC खातों में NPA (रु 761.49 करोड़) का प्रतिशत कृषि क्षेत्र के कुल NPA का 89.12 % है, जबकि KCC ऋण कुल कृषि ऋण का 41.77 % है |

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना"

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” का लोकार्पण किया गया है | इस योजना के तहत ऋणी एवं अऋणी किसानों को विभिन्न कारणों से होने वाले फसल-क्षति के समय एक व्यापक बीमा-कभर प्रदान किया जाता है | झारखण्ड राज्य में भी इस योजना का शुभारम्भ किया जा चुका है | झारखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए झारखण्ड राज्य में खरीफ की फसल के लिए नोडल बीमा कंपनी के रूप में AGRICULTURE INSURANCE CO एवं रबी की फसल के लिए ICICI Lombard और Shriram General insurance Co अनुबंधित किया गया है |

1. बैंकों द्वारा SLBC को उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान खरीफ फसल के लिए इस योजना के तहत लगभग 1.74 लाख ऋणी किसानो का फसल बीमा किया गया |

2. बैंकों द्वारा प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार रबी की फसल के लिए अब तक लगभग 0.36 लाख ऋणी किसानों का फसल बीमा कराया गया है |

बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गए report के आधार पर बैंकवार एवं जिलावार स्थिति संलग्नक (पृष्ठ संख्या-13 a एवं 13 b) में दर्शायी गई है |

5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण

5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस ई) (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र)

(Accounts in thousands) (Amt. in crore)

Sl. No.	Particular	Outstanding position as at the end of	
		Dec 2015	Dec. 2016

(1)	(2)			(3)	(4)
1	**Micro Enterprises**		**Accounts**	**258**	438
			Amount	**7058.66**	10394.54
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	45	51
			Amount	1736.74	1983.85
	b.	Service Sector	Accounts	213	387
			Amount	5321.92	8410.69
2	**Small Enterprises**		**Accounts**	**85**	**96**
			Amount	**6885.64**	**8540.07**
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	24	24
			Amount	2891.52	2898.37
	b.	Service Sector	Accounts	61	72
			Amount	3994.12	5641.70
3	**Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)**		**Accounts**	**343**	**534**
			Amount	**13944.30**	**18934.61**
4.	**MEDIUM ENTERPRISES**				
a.	Manufacturing Sector		Accounts	03	03
			Amount	1080.30	1109.80
b.	Service Sector		Accounts	27	28
			Amount	655.34	790.67
c.	**Total of Medium Enterprises**		**Accounts**	**30**	**31**
			Amount	**1735.64**	**1900.47**
TOTAL MSME (PRIORITY SECTOR ADVANCES)			**Accounts**	**373**	**565**
			Amount	**15679.94**	**20835.08**
5.	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts (stipulation: 60%)	50.62%	54.90%
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	20.65%	24.02%

COVERAGE UNDER CGTMSE (Collateral Free Loans Upto Rs. 1.00 Crore in MSME)

Position as on 31.12.2016

(A/C in 000, Amt.in Cr.)

MSE up to Rs. 1.00 Crore						Coverage under CGTMSE					
MANUFACTURING		SERVICE		TOTAL		MANUFACTURING		SERVICE		TOTAL	
A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	A/C	A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	Amt.
87	4818	383	11600	470	16418	21	1482	74	3201	95	4683

टिप्पणियां

- झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरूद्ध **दिसम्बर, 2016** मे 54.90 %है।
- झारखण्ड राज्य मे, 1 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 470000 (लगभग) MSE ऋण खातें हैं, परंतु इनमे से केवल 95000 (लगभग) ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 20% खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है |
- प्राप्त आंकड़ों के अनुसार JGB एवं VGB में कुल 100000 खातों के विरूद्ध केवल 1300 खातों में ही CGTMSE कवरेज है | कमोबेश सभी बैंकों का CGTMSE कवरेज प्रतिशत काफी कम है | चूँकि JGB एवं VGB को इस योजना से अलग कर दिया गया है, अतः बाकी बचे सभी दुसरे बैंकों से यह आग्रह है कि वे अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा खातों में CGTMSE कवरेज लेने का प्रयास करें | Prevailing guidelines के अनुसार भी CC एकाउंट्स में Review के समय CGTMSE कवरेज लिया जा सकता है |
(रिपोर्ट पृष्ठ सं- 15 (a) में सलंग्न है)

5.2 (ख) "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"

दिनांक 8 अप्रैल,2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई | यह योजना मुख्यत: गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई थी | परंतु वर्तमान में DFS, Ministry of Finance, GOI के पत्रांक - 29/2/2016-IF-2 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा कृषि क्षेत्र के allied activities-e.g. Pisciculture, beekeeping, poultry, diary, fishery, agriclinics & agribusiness centres, food & agro processing एवं इन गतिविधियों को सहारा देने वाली वैसी सेवाएँ जो जीविकोपार्जन अथवा आय अर्जन को promote करती हैं, इत्यादि को भी 01.04.2016 से PMMY के तहत शामिल कर लिया गया है | इसके अलावे

Ministry of Textiles, GoI के निर्देशानुसार handloom weavers एवं artisans को दिये जाने वाले ऋण भी PMMY योजना के तहत आयेंगे |

ध्यातव्य है कि crop loan, land improvement such as canals, irrigation, wells आदि को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है |
पूर्व में इस योजना के अंतर्गत सेवा एवं निर्माण क्षेत्र में दिये गए ऋण का guarantee cover, CGTMSE scheme के अंतर्गत किया जा रहा था परंतू वर्तमान व्यवस्था के अनुसार PMMY योजना के तहत दिये जाने वाले सभी ऋणों का NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Co Ltd) द्वारा guarantee cover (CGFMU-Credit Guarantee for Mudra Unit) सुनिश्चित किया गया है |

इस योजना की राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (01.04.16 से 31.12.16 तक)

(राशि करोड़ में)

शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
NO	**AMT**	**NO**	**AMT.**	**NO**	**AMT.**	**NO**	**AMT.**
163884	199.85	19613	414.39	3157	242.76	186654	857.00

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (08.04.15 से 31.03.16 तक)

(राशि करोड़ में)

शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
NO	AMT	NO	AMT.	NO	AMT.	NO	AMT.
308799	446	32368	735	7002	484	348169	1665

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-16 (a) एवं 16 (b) में सलंग्न है)

5.2 (ग) स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना

स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना में राज्य की उपलब्धि 30 सितम्बर, 2016 तक इस प्रकार है-

SC/ ST Beneficiaries	Loan Amt (in Lacs)	Women Beneficiaries	Loan Amt (in Lacs)	Total Beneficiaries	Loan Amt (in Lacs)
39	**635.31**	**166**	**3487.14**	**205**	**4122.45**

- Special SLBC के दौरान राज्य में इस योजना के तहत इतनी कम उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त किया गया था, जिस पर कई बैंको ने यह कहा था कि इस योजना की वास्तविक प्रगति system में proper coding नहीं किये जाने की वजह से परिलक्षित नहीं हो पा रही है, जिस पर DFS, भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने दिनांक 30.11.2016 तक सभी बैंको से इसमें आवश्यक सुधार कर लेने का निर्देश दिया था | इस आशय से संबंधित सुचना SLBC द्वारा सभी बैंको को दे दी गई थी | इसके बावजूद इस दिशा में कोई खास प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है | सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि इस पर विशेष ध्यान देकर coding को सही करवा लिया जाय ताकि वास्तविक उपलब्धि पता चल सके | चूँकि इस योजना की समीक्षा PMO द्वारा की जा रही है और इसमें दिया गया बजट भी काफी कम है, अतः बैंको से आग्रह है कि इसे अविलम्ब प्राप्त करने के लिए उनके स्तर से समुचित प्रयास किये जाएँ | वर्तमान व्यवस्था के अनुसार Stand Up India योजना के तहत दिये जाने वाले सभी ऋणों का NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Co Ltd) द्वारा guarantee cover (CGFSIL- Credit Guarantee Fund Scheme for Stand Up India Loans) सुनिश्चित किया गया है |

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-17 (a) में सलंग्न है)

5.3. शिक्षा ऋण Education loan

शिक्षा ऋण योजना के तहत्त बैंको का निष्पादन

(Amt. in crore)

Particulars	As on 31.12.15	As on 31.12.16				Total As on 31.12.16	GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN	DISBURES EMENT MADE DURING AFY 2016-17 in ACP 16-17
		Public Sector Bank	Private Sector Bank	RRB	Coop. Bank			
No. of Account	59496	62207	231	898	2	63338	279.12	9057
Amount (In crore)	2232.42	2479.44	5.75	26.25	0.10	2511.54		329.89

- उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि राज्य के बैंकों के शिक्षा ऋण में वर्ष-दर-वर्ष मामूली वृद्धि हुई है, SLBC पिछले कुछ तिमाहिओं से शिक्षा ऋण में वृद्धि हेतु प्रयासरत है | यध्यपि AFY 2016-17 की पहले 09 महीने में कुल 9057 छात्रों को रु. 329.89 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया है, पर इसमें और ज्यादा गति प्रदान करने की आवश्यकता है | उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की शाखा स्तर पर ज्यादा शिक्षा-ऋण संवितरण हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दें |

- माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के द्वारा 54 वीं SLBC बैठक के दौरान उपर्युक्त विषय पर एवं विशेष कर अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को शिक्षा-ऋण नही दिये जाने पर चिंता व्यक्त किया गया था | RBI के प्रावधानों के तहत रु. 4.00 लाख तक के शिक्षा-ऋण में किसी भी तरह के SECURITY की आवश्यकता नही है, एवं रु.7.50 लाख तक के बिना SECURITY या GUARANTEE पर दिया गया शिक्षा ऋण पर CREDIT GUARANTEE उपलब्ध है, इसीलिये रु 7.50 लाख तक के शिक्षा-ऋण C.N.T या S.P.T एक्ट के प्रभाव से मुक्त माना जा सकता है | इसे ध्यान में रखते हुए 54 वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि SC/ST संवर्ग के योग्य छात्रों को रु.7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण देने के लिए बैंकों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाय |

- इस अभियान के तहत अब तक का उपलब्धि अलग से संलंग्नक संख्या-18 (a) में दर्शाया गया है | इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संवितरित ऋण में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को रु.7.50 लाख तक दिये गए शिक्षा ऋण की स्थिति इस प्रकार है:

अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की संख्या	2272
अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दिया गया ऋण	81.69 करोड़

- Tribal Advisory Council में हुए चर्चा के अनुसार एक सहमति बनी थी कि राज्य में सभी ST/SC विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण का आवेदन करने के लिए SLBC द्वारा एक पोर्टल बनाया जाय जिस पर इच्छुक विद्यार्थी अपने preference के अनुसार बैंक का नाम देते हुए आवेदन करेंगे, जिसे SLBC द्वारा संबंधित बैंक के Controlling ऑफिस को उपलब्ध करा दिया जायेगा और उस ऋण की अद्यतन स्थिति की जानकारी उन बैंको द्वारा SLBC को हर महीने के अंत में उपलब्ध करायी जाएगी जिससे ST/SC candidates के लिए दिये जाने वाले शिक्षा ऋण की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके | इससे यह भी विदित हो सकेगा कि बैंको में प्रेषित कितने आवेदन या तो स्वीकृत किये गए या reject किये गए या स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं |

  हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि SLBC द्वारा इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और SLBC के वेबसाइट पर यह पोर्टल मार्च महीने के प्रथम सप्ताह तक functional हो जायेगा | सभी हितधारकों द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि इसकी सूचना सभी विद्यार्थियों तक पहुँच सके ताकि इस सुविधा का लाभ वो ले सकें | सभी नियंत्रक प्रमुखों से विशेष आग्रह है कि वे अपनी शाखाओं के माध्यम से इसका समुचित प्रचार करें |

5.4- आवास ऋण

Performance of Banks under Housing loan Scheme

(आवास ऋण योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन)

(रु .करोड़ में)

Particulars	Up to	31.12.2016		Y-to-Y	

	31.12.15	Public Sector Banks	Private Sector Banks	RRB	Coop. Banks	Total Up to 31.12.16	INCREASE	Disbursements made in ACP 16-17
खाता की सं.	65101	65187	5268	561	30	71046	5945	9472
राशि (रु करोड़ में)	4989.12	5718.88	510.35	38.06	3.40	6270.69	551.81	1003.16

5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWERS (ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह)

5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

31 दिसम्बर, 2016 तक स्थिति निम्न है:

(रु .करोड़ में)

31 दिसम्बर, 2015		% Share	31 दिसम्बर, 2016		% Share
P.S.A	Loans to Minority Community		P.S.A	Loans to Minority Community	
35928.52	5104.04	14.20%	42716.37	5580.51	13.06%

5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

31 दिसम्बर 2016 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु .करोड़ में)

31 December, 2015		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN	31 December, 2016		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN
Gross Credit	Of which to Women		Gross Credit	Of which to Women	
67532.33	14410.45	21.33%	78827.49	11322.97	14.36%

5.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(DRI)

31 दिसम्बर, 2016 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(रू. करोड़ में)

31 December, 2015		31 December, 2016		DRI Percentage in Net Credit
Net Credit	DRI	Net Credit	DRI	
67532.33	39.01	78827.49	49.66	0.06

5.5.4. SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

31 दिसम्बर, 2016 समाप्त तिमाही मे अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है- :

(रू करोड़ में.)

31 दिसम्बर, 2015		Percentage In Net Credit	31 दिसम्बर, 2016		Percentage In Net Credit
Net Credit	Loans to SC/ST		Net Credit	Loans to SC/ST	
67532.33	13027.18	19.29%	78827.49	13412.05	17.01%

5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

31 दिसम्बर, 2016 तक झारखण्ड राज्य में सभी बैंकों द्वारा इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 09 महीनों में कुल 12741 SHGs के S/B खाते खोले गए हैं , एवं कुल 8375 खातों का credit linkage किया गया है, जिनमे लगभग रू 56.13 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया है |

बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूरे राज्य में 141654 SHGs के S/B खाते हैं , जिनमें से 79391 खातो का credit linkage है , जिसकी O/S राशि रू 626.24 करोड़ है |

NABARD से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 दिसम्बर, 2016 तक झारखंड राज्य के एल.डब्लू.ई प्रभावित जिलों में NABARD योजना के तहत संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रगति निम्नानुसार है,

जिलों की संख्या	18

ब्लाकों की संख्या	210
गैर सरकारी संगठन की संख्या	127
नवगठित डब्लू.एस.एच.जी की संख्या	45323
एसएचजी बचत लिंक्ड की संख्या	39791
एसएचजी ऋण लिंक्ड की संख्या	13461

5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

एन आर एल एम की उपलब्धि (31 दिसम्बर, 2016 तक)

31 दिसम्बर, 2016 *तक की गई मुख्य प्रगति – संचयी और वार्षिक*

(रू लाख में)

संकेतक Indicators	Status as on March'16	Addition during AFY-16-17	Cumulative status as on date since Inception
No of Blocks	80	16	96
No of Villages	3603	1779	5382
Total No of SHGs supported By SRLM	27493	17214	44707
No of SHG credit linked with Banks	8655	5380	14035

कार्यसूची सं.	6
बैठक की तिथि	**09.02.2017**
बैठक की संख्या	**58**

वित्तीय समावेशन एवं प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

A. **BC (बैंक मित्र) द्वारा SSA के कवरेज की स्थिति**

SSA की कुल संख्या	BC द्वारा SSA का coverage (Fixed Location)	बैंक शाखा द्वारा SSA का coverage	uncovered
4178	**3323**	**855**	**Nil**

B. **PMJDY के तहत 31.12.2016 तक खोले गए BSBD (Basic Savings Bank Deposit) खातों की स्थिति**

31.12.2016 तक खोले गए बीएसबीडी खातों की संख्या			PMJDY खातों मे जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल		
6889650	**2367660**	**9257310**	**6529615**	**7439593**

यद्यपि पीएमजेडीवाइ योजना के तहत खोले गए खातों में अब तक कुल 6529615 रुपे कार्ड जारी किए गए हैं, परन्तु प्राप्त सुचना के आधार पर यह पता चल रहा है कि जारी किये गए रुपे कार्ड में से केवल 5597199 कार्ड ही अब तक वितरित किये गए हैं और उनमे से भी केवल 4414732 खातों में PIN दिया गया है | अब तक

केवल 3692403 खातों में रुपे कार्ड activate हो पाया है | बैंकों/LDMS से आग्रह है कि वर्तमान समय में Cashless transaction को बढ़ावा देने के लिए शत प्रतिशत रुपे कार्ड का activation करना अत्यंत जरुरी है , और BCs द्वारा किये जाने वाले प्रतिदिन transaction की संख्या को बढाने के लिए सतत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है |

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-22 (a)-22 (e) सलंग्न है)

प्रधानमंत्री जन-धन योजना" के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु, लागु किया गया, बिभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :

दिनांक: 31.12.2016 तक इन योजनाओं में सभी बैंकों की उपलब्धि निम्नवर्णित है

PMJJBY		PMSBY		APY	
Total Enrolment	Premium Received (Rs. in Lacs)	Total Enrolments	Premium Received (Rs. in Lacs)	Total Enrolments	Premium Received (Rs. in Lacs)
500498	1651.64	2031410	243.77	72529	2317.84

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-22 (f)-22 (g) सलंग्न है)

वित्तीय समावेशन एवं BRANCH EXPANSION पर भारतीय रिज़र्व बैंक का अद्यतन दिशानिर्देश

- भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्यतन निर्देशानुसार 5000 से ज्यादा आवादी वाले सभी गाँवों में दिनांक 31.03.17 तक बैंक की शाखा खोलना अनिवार्य है | झारखण्ड राज्य में ऐसे 259 गाँवों को चिन्हित किया गया एवं पाया गया कि इनमे से 122 गाँवों में ही बैंक की शाखा मौजूद है , बाकी के 137 गाँवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर उन्हें सूचित किया गया |
- 55 वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था की 31 गाँवों में 30 जून तक एवं शेष 106 गाँवों में 31.03.2017 तक बैंक की सभी शाखायें खोल ली जाएगी परंतू दिसम्बर 2016 तक सिर्फ 25 गाँवों में ही बैंकों द्वारा शाखा खोला गया है और अन्य 14 गाँवों में आंशिक प्रगति हुई है | (विस्तृत विवरणी पृष्ठ संख्या- 24a, 24b एवं 24 c में संलग्न है)
- Special SLBC की बैठक के दौरान आंशिक प्रगति वाले उन गाँवों में, जिसके लिए बैंकों के प्रधान कार्यालय द्वारा अनुमोदन मिल चूका था, 15 दिनों के अंदर एवं उन गाँवों में जहाँ अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी, वहाँ 30.11.2016 तक शाखाओं को खोल लिए जाने का निर्देश दिया गया था | उक्त आशय की सूचना slbc द्वारा सभी बैंको को डे दी गई थी | अब तक केवल Indian Bank द्वारा ही शाखा खोली गई है |
- सभी बैंकों से आग्रह है वे बाकी बचे हुए 98 (कुल 137 के सूची में) गाँवों में 31.03.17 से पहले शाखा अवश्य खोल ले |
- सभी बैंकों को दिये गए जिला वार लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धि की विवरणी पृष्ठ संख्य-23 (a) से 23 (d) में दर्शायी गई है |

बैंक खातों में आधार संख्या Seeding

- आधार अधिनियम का लागु होने के पश्चात् वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को यह दिशानिर्देश प्राप्त हुई की, आने वाले दिनों में सभी तरह के सरकारी भुगतान, जैसे की सरकारी अनुदान राशि, छात्रवृत्ति, मनरेगा मजदूरी इत्यादि AADHAR ENABLED PAYMENT SYSTEM (AEPS) के जरिये ही किया जाएगा | इस दिशानिर्देश के उपरांत झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के द्वारा आधार seeding को प्राथमिकता दी जा रही है, एवं सभी LDM के पास विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा लाभुकों के आधार संख्या से संवंधित BULK DATA उपलब्ध कराया जा रहा है, इस DATA को बैंक वार छांट कर LDM द्वारा जिला के सभी बैंकों के पास आधार सीडिंग के लिए भेजा जा रहा है |

- Spl SLBC के दौरान DFS के संयुक्य सचिव श्री मदनेश कुमार मिश्रा जी ने कहा था कि संवैधानिक कारणो से आधार सीडिंग का काम सिर्फ data के आधार पर करना सही नहीं माना जाता है, इसके लिए खाताधारी (individual beneficiary) का सहमति पत्र के साथ आधार की प्रति जो बैंकों के रेकॉर्ड मे रहेगा, लेना आवश्यक है। परंतू LDMs को केवल आधार संख्या और खाता संख्या का data उपलब्ध कराया जा रहा है और इन्ही records के आधार पर आधार सीडिंग का काम हमारे राज्य में किया जा रहा है |

  DFS के निर्देशानुसार, झारखण्ड राज्य को MGNREGA के लिए MoRD द्वारा उपलब्ध कराये गए 2201807 Consent Forms का Reconciliation, SLBC द्वारा किया जाना है, जिसके लिए बार-बार BOI के प्रधान कार्यालय द्वारा अनुस्मार पत्र दिया जा रहा है, परंतू बैंको के पास Consent Forms, physical form में उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण यह काम लंबित है | हम राज्य सरकार से यह आग्रह करते हैं कि MGNREGA खातों के लिए Consent Forms, physical form में बैंकों को उपलब्ध कराया जाय ताकि यह कार्य किया जा सके |
- राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत यथा-MGNERGA, NSAP, Scholarship इत्यादि के तहत चलाये जा रहे आधार सीडिंग के काम में संतोषजनक प्रगति हुई है और सभी बैंकों द्वारा लगभग 90% खातों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है | राज्य सरकार द्वार इस कार्य के लिए साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है और सभी संबंधित अधिकारीयों एवं बैंको के साथ Video Conferencing के जरिये इस कार्य को अबिलम्ब पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है |

  {27.01.2017 तक की प्रगति प्रतिवेदन सलंग्न-पृष्ठ संख्या-24 (a), 24 (b) एवं 24 (c)}

कार्यसूची सं	**7**
बैठक का दिनांक	**09.02.2017**
बैठक सं	**58**

<u>एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबधित उपाय</u>

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य के बैंकों में दी 31 दिसम्बर ,2016 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है -:

[राशि करोड़ में]

विवरण	31.12.15	31.12.16	Y-TO-Y Growth	% Growth
Net Credit	67532.33	78827.49	11295.16	16.72%
Net N.P.A	4102.05	4642.51	540.46	13.18%
Percentage of N.P.A	**6.07%**	**5.89%**		

नोट : उपरोक्त राशि में रिटेन ऑफ (Written-Off) की राशि शामिल नही है।

i. **झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय आस्तियां (N.P.A) , एक चिंताजनक स्थिति में पंहुच चुकी है | वर्ष-दर-वर्ष NPA में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है | रु 4642.51 करोड़ का NPA, जो सकल अग्रिम का 5.89 % है , एक चिंताजनक आंकड़ा है |**

ii. **ज्यादा NPA बैंकों से नए ऋण-संवितरण में प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है एवं राज्य के अंदर नऐ ऋण की स्वीकृति में एक शंका के वातावरण का कारण बन रही है|**

iii. **NPA एवं उससे संवंधित PROVISIONING बैंकों के CAPITAL BASE पर प्रतिकूल असर डाल रहे हैं |**

iv. **RBI, सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख, केन्द्र एवं राज्य सरकार को मिलकर इस समस्या की एक कारगर निदान निकालने की आवश्यकता है | बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागीओं से इस विषय पर चर्चा एवं सुझाव का अनुरोध किया जा रहा है |**

सर्टिफिकेट केस का स्थिति

राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

[राशि करोड़ में]

Type of Banks	31.12.15		31.12.16	
	सं	राशि	संख्या	राशि
Commercial Banks	106211	372.70	92529	358.79
R.R.B	6222	14.99	6880	31.80
Total	**112433**	**387.70**	**99409**	**390.59**

सर्टिफिकेट केस की तिमाही निपटान की स्थिति निम्नवत है

[राशि करोड़ में]

बैंक	अक्टूबर से दिसम्बर, 2016	
	संख्या	**राशि**
Commercial Bank	267	2.57
R.R.B	1017	13.06
Total	**1284**	**15.63**

DRT केस की स्थिति

दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक बैंकों के डी आर टी केसों की स्थिति इस प्रकार है :-

[राशि करोड़ में]

Status as Of 31.12.15		Cases Filed during Dec,16 Quarter		Cases Resolved during Dec,16 Quarter		**Status as Of 31.12.16**	
सं	**राशि**	**सं**	**राशि**	**सं**	**राशि**	**सं**	**राशि**
2160	688.02	171	116.42	131	18.53	2453	1000.42

कार्यसूची सं	**8**
बैठक का दिनांक	**09.02.2017**
बैठक सं	**58**

31.12.2016 को सरकार प्रायोजित कार्यक्रम

8.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक समग्र स्थिति

(राशि करोड़ में)

Target	Applications received	Applications sanctioned		Applications Disbursed		REJECTED	Pending
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2083	**2290**	**344**	**20.92**	**239**	**7.34**	**455**	**1491**

- पीएमईजीपी के तहत्त आवेदनों का ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने बेवसाइट पर समाविष्ट कर ली गई हैं। इस प्रक्रिया के लिए KVIC के द्वारा सभी बैंकों को उनके द्वारा system number उपलब्ध कराने के पश्चात् User ID और Password दिये जाने का प्रावधान किया गया है | प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा PMEGP लोन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है |

(KVIC के प्रतिनिधि से इसकी अद्यतन जानकारी अपेक्षित है)

कार्यसूची संख्या	9
बैठक की तारीख	09.02.2017
बैठक संख्या	58

10. RSETI & FLC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है : (as of 31.12.15)

झारखन्ड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , बिभिन्न बैंको के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा हैं |

बैंक ऑफ इंडिया	-	11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	8 जिले
इलाहाबाद बैंक	-	3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक	-	2 जिले
कुल		24 जिले

एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में केनरा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित) 1 जिला

- स्वतंत्र निदेशकों की पोस्टिंग : 25 केन्द्रों में
- आरसेटी के लिए परिसर की स्थिति निम्न है :
  किराए के परिसर 7 केन्द्रों में
  सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी परिसर (अस्थायी) 17 केन्द्रों में
  स्वयं के परिसर में RSETI (बोकारो) 1 केंद्र में
- भूमि आवंटित 25 केन्द्रों में
- भूमि स्थानांतरित- 25
- निदेशकों का प्रशिक्षण:
  निदेशकों की संख्या जिन्होंने टीटीपी प्रशिक्षण प्राप्त किया 23 निदेशक
  निदेशकों की संख्या जिन्होंने टीटीपी प्रशिक्षण प्राप्त नही किया - 2 निदेशक
  (राँची एवं लातेहार)

AFY 16-17 का वार्षिक लक्ष्य : प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 18830
दिसम्बर, 2016 तक उपलब्धि: प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 13378

RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति,
भवन निर्माण कार्य सम्पूर्ण - 5
भवन निर्माण कार्य प्रगति पर - 13
भवन निर्माण कार्य (प्रारंभ होना बाकी) - 7

(State Director, RSETI से प्राप्त विवरणी पृष्ठ सं-28 (a) में संलग्न है)

RSETI प्रशिक्षार्थीयों की बैंकों से वित्तीय संबन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2015-16 के दौरान		AFY 2016-17 के दौरान	
कुल प्रशिक्षार्थी	Credit Linked	कुल प्रशिक्षार्थी	Credit Linked
20179	**1530**	13378	1395

नोट :
51वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी इच्छुक RSETI प्रशिक्षार्थीयों को अनिवार्य रूप से, उनके सेवा क्षेत्र के बैंक शाखाओं के द्वारा CREDIT LINKAGE स्थापित की जाएगी | RSETI निदेशकों के द्वारा बैंकों की संवंधित शाखाओं में आवेदन भेजे जाएँगे एवं आवेदनों की अस्वीकृति के अधिकार, केवल नियंत्रक कार्यालयों के पास ही रहेंगे | परंतू उपरोक्त आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि यद्दपि इस दिशा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, परंतु उपलब्धि संतोषजनक नही है | विभिन्न बैंकों में एवं जिलों में credit linkage के लिए pending पड़े आवेदनों की सूची अलग से उपलब्ध करायी गई है | सभी LDMs एवं संबंधित बैंको के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि इसका निष्पादन यथाशीघ्र करवायें |

(बैंकवार एवं जिलावार प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ सं-29 (a) एवं 29 (b) में संलग्न है)

वित्तीय साक्षरता केंद्र का संचालन

वर्तमान में 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन **(जिला स्तर पर)**	**संख्या**
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (प)एवं(पु) गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़	**10**
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर,पलामू	**7**
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा	**2**

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,
झारखण्ड ग्रामीण बैंक - 16 केन्द्र
वनांचल ग्रामीण बैंक - 9 केन्द्र

अक्टूबर-दिसम्बर, 2016 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर

दिसम्बर तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा	957
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	1981
कुल	2938

वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के द्वारा सभी I.T.I (सरकारी एवं गैर सरकारी) एवं VOCATIONAL TRAINING CENTER के प्रशिक्षनार्थियो को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु,व्यापक पैमाने पर एक परियोजना शुरू किया गया, जिसके तहत सभी बैंक शाखाओं एवं FLC केन्द्रों को I.T.I (सरकारी एवं गैर सरकारी) एवं VOCATIONAL TRAINING CENTER आवंटित किया गया | उन शाखाओं एवं FLC केन्द्रों को अपनी अपनी आवंटित संस्थाओं में संचालित सभी सत्रों में नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता प्रदान करना है | इस सम्बन्ध में अब तक की हुई उपलब्धि का ब्यौरा पृष्ठ सं-30 (a) एवं 30 (b) में संलग्न है |

कार्यसूची सं	**10**
बैठक की तारीख	**09.02.2017**
बैठक संख्या	**58**

एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज

पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रही हैं। उप-समितियों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

एस.एल.बी.सी की उप समितियां

Sr. No	उप समिति के नाम	उप समिति के पदधारी	उप समिति के अन्य सदस्य	संदर्भ	पिछली बैठक की तिथि
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / सचिव (कृषि) GOJ संयोजक – नाबार्ड	1)प्रमुख सचिव/ सचिव संस्थागत वित्त 2)प्रमुख सचिव/, सचिव जल संसाधन विभाग। 3) सचिव, वन विभाग। 4) नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	1)कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां, (केसीसी सहित) 2)नई परियोजना/ स्कीम (कृषि) 3) कृषि ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	**06.01.2017**
2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 2) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम 3) स्थानीय निर्यात संस्था 4)उद्योग विभाग 5) एक्जिम बैंक	1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2)हस्तकला /कृषि के निर्यात में सुधार के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारकों का प्रोत्साहन	**08.11.2016**

			6)अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी		
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह) GOJ संयोजक-एसबीआई	1) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन 2) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 3) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 4) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 5) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि 6) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)	1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 2) राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा / नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा 3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट 4) बैंक शाखाओं / करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती	**09.11.2016**
4.	सीडी अनुपात और एसीपी उप-समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ. 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) पंजाब नेशनल बैंक 7) झारखंड ग्रामीण बैंक 8) केनरा बैंक 9)यूनियन बैंक	1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात 2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति 3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को	**08.11.2016**

				सक्षम करने का विकास	
5.	एसएलबीसी परिचालन समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) संस्थागत वित्त विभाग 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) निदेशक, उद्योग 5) आईसीआईसीआई बैंक 6) केनरा बैंक 7) पंजाब नेशनल बैंक 8) बैंक ऑफ इंडिया 9) भारतीय स्टेट बैंक	1) नवीनतम स्थिति और सरकार /बैंकों के पास लंबित मुद्दें 2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार (बैंक /सरकार)	**08.11.2016**
6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, सहकारी 3) सचिव, राजस्व 4) सचिव, कृषि 5) सचिव, योजना 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) बैंक ऑफ इंडिया 8) इलाहाबाद बैंक 9) भारतीय रिजर्व बैंक	विधानमंडल से संबंधित मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार एवं बैंकों से चर्चा	**02.02.2015**
7.	एमएसएमई और सरकार पर उप-समिति, प्रायोजित योजनाएं	सचिव, (ग्रामीण विकास) संयोजक- बीओआई	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) सचिव, उद्योग 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	16.12.2016 को **RBI Empowered Com**mittee **on MSME** की 32वीं बैठक बुलायी गई थी।
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव (शहरी विकास) संयोजक- एसबीआई	1) सचिव, शहरी विकास 2) सचिव, वित्त 3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दें (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र)	**09.11.2016**
9	SHG-Bank Linkage एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, वित्त 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) भारतीय स्टेट बैंक 6) बैंक ऑफ इंडिया 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी.	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड	**31.01.2017**

			9) झारखण्ड ग्रामीण बैंक 10) नाबार्ड		
10	RSETIs पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) नाबार्ड 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी. 9) राज्य निदेशक, RSETI	RSETI में प्रशिक्षण एवं उसके उपरांत बैंकों से Credit Linkage से सम्बन्धित मुद्दे	**31.01.2017**

कार्यसूची सं.	**11**
बैठक की तिथि	**09.02.2017**
बैठक सं.	**58**

विविध कार्यसूची

1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये गए एक अध्ययन से यह विदित हुआ है कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण प्रवाह सहज एवं पर्याप्त नहीं है जिसका कारण मुख्यतः निम्न वित्तीय साक्षरता, अपर्याप्त बजट आवंटन एवं समय पर ऋण भुगतान करने वालों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का अभाव है | अतः अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सहज एवं पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु राज्य में अवस्थित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं चिन्हित किये गए जिले यथा रांची, गुमला, पाकुड और साहेबगंज के अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा आवश्यक एवं समुचित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है | **(प्रस्तावक: भारतीय रिज़र्व बैंक)**

2. Each bank branch should disburse at least 30% of their total agri-loans towards agri-term loans. Banks to focus on Dairy Development, Fishery & Other Allied Activities, on the basis of Area Development Scheme prepared by NABARD, more credit flow towards rural Non-farm activities (Cluster Development Programme), Rural Housing, Education, etc. which would be reviewed in the DLCC/BLBC meetings. **(प्रस्तावक : NABARD)**

3 .For increasing the per ha. credit to at least to Rs.25,000/- on an average during the current FY, banks should take necessary action in increasing the credit flow and LDMs may be advised to place the same as Agenda item in DLCC/BLBC meetings and DCs may monitor the same. **(प्रस्तावक : NABARD)**

उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों का इस बिंदु के प्रति ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है |

4. One time documentation for SHGs for at least 3 years (under CCL) and first dose should be minimum Rs 1.00 lac.

(प्रस्तावक:JSLPS, GoJ)

5. PMAY योजना में लाभुकों द्वारा आय प्रमाण पत्र ना दिये जाने की स्थिति में बैंकों द्वारा Rs 3.00 लाख तक वार्षिक आय assess किये जाने के लिए सभी बैंकों द्वारा उनके प्रधान कार्यालय से सहमति लिया जाना एवं बैंकों द्वारा वैसे लाभुकों को, जो Housing Finance के लिए अन्य सभी पात्रताएं पूरी करते हैं, PMAY scheme के तहत eligible amount तक CLSS में coverage दिये जाने का प्रयास किया जाना |

(प्रस्तावक: शहरी विकास एवं आवास विभाग, GoJ)

कार्यसूची सं.	**12**
बैठक का दिनांक	**09.02.2017**
बैठक सं	**58**

विमुद्रीकरण एवं Cashless बैंकिंग

- सरकार द्वारा दिनांक 08.11.2016 से पुराने 500 एवं 1000 रू के नोटों का प्रचलन बंद कर 500 एवं 2000 रू की नयी मुद्राएँ लायी गई | कुछ दिनों तक पुराने नोटों को नयी मुद्रा से बदलने एवं पुराने नोटों को खातों में जमा करने के लिए पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल सा बन गया था | परंतू सभी LDMs, बैंक कर्मियों, RBI एवं राज्य सरकार के सामूहिक एवं अनवरत प्रयास के कारण झारखण्ड में इस विषम कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया |

- माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा cashless economy को बढ़ावा देने के लिए किये गए आह्वाहन पर झारखण्ड राज्य ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरे राज्य में इस अभियान को गति देने के लिए "CASHLESS JHARKHAND" अभियान की शुरुआत नगरी प्रखंड मुख्यालय से दिनांक 02.12.2016 को की गई | इसके तहत राज्य में cashless transaction को लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं-जिनमे Mobile App download करना और सभी नागरिकों को cashless transaction से जुडे विभिन्न उत्पादों की जानकारी देना है | इसके साथ ही सभी इच्छुक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में POS machines देने की प्रक्रिया भी की जा रही है | राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा अपने जिले में इसके लिये नियमित अन्तराल पर कैम्प लगाये जा रहे है | इन कैम्पों की उपलब्धि संतोषजनक रही है |
  {प्रगति प्रतिवेदन सलंग्न-पृष्ठ सं-37 (a) एवं 37 (b)}
- cashless transaction को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बैंक खाता खोलवाने के लिए प्रत्येक जिला में अग्रणी जिला प्रबंधकों की सहायता से विशेष कैम्प लगवाए गए, जिसमे यह प्रयास किया गया कि असंगठित मजदूरों के काम करने अथवा उनके रिहाइशी इलाकों में अवस्थित बैंकों में उनका खाता खोलकर उन्हें cashless बैंकिंग से जोड़ा जा सके |
  {जिलावार प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ सं-37 (c)}
- केन्द्र द्वारा प्रायोजित DIGI DHAN मेला का आयोजन अब तक राज्य के दो जिलों राँची एवं बोकारो में क्रमशः दिनांक 01.01.2017 एवं 14.02.2017 को किया जा चूका है | इन कैम्पों की उपलब्धि काफी उत्साहजनक है | {आंकड़े सलग्न-पृष्ठ सं-37 (d) एवं 37 (e)}

कार्यसूची सं.	**13**
बैठक की तिथि	**09.02.2017**
बैठक सं	**58**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...